II-156
C.J.

Order Sheet [Contd]

Case No...............of 20...........

Date of order of proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
433/2023 11.05.2024	**प्रकरण नेशनल लोक अदालत में प्रस्तुत।** राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. उपस्थित। अभियुक्तगण सहित श्री महेन्द्र पाटीदार अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण राजीनामा आवेदन पर आदेश हेतु नियत है। इस आदेश द्वारा उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा आवेदन अंतर्गत् धारा 320(1) (2) द.प्र.सं. का निराकरण किया जा रहा है। फरियादी एवं अभियुक्तगण द्वारा धारा 320(1) (2) द.प्र.सं. के अंतर्गत् आपसी राजीनामा प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि उनके मध्य राजीनामा हो गया है तथा वह अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकरण नहीं चलाना चाहता है। फरियादी द्वारा स्वेच्छया बिना किसी डर, दबाव, भय के राजीनामा करना व्यक्त किया। अतः उभयपक्ष द्वारा राजीनामा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 294, 323/34, 506 के अपराध का आरोप है। फरियादी द्वारा स्वेच्छया से बिना किसी डर, दबाव के आपसी राजीमर्जी से राजीनामा करना व्यक्त किया। प्रस्तुत राजीनामा लोकनीति के विरूद्ध नहीं है और न ही अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धी अभिलेख पर है। फरियादी राजीनामा करने हेतु सक्षम व्यक्ति है। धारा 294, 323/34, 506 शमनीय प्रकृति की है। अतः फरियादी एवं अभियुक्तगण की ओर से राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। उभयपक्ष की पहचान अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजों से की गई। अभियुक्तगण **मांगीलाल पिता धूमसिंह एवं सुमेरसिंह पिता धूमसिंह** को राजीनामा के आलोक में भा.द.वि. की धारा 294, 323/34, 506 के अपराध के आरोपों से	

Date of order of proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer
	दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक मठमेला पत्थर है जो मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

अभियुक्तगण के उपस्थिति के संबंध में प्रस्तुत किये गये प्रतिभूति पत्र एवं व्यक्तिगत बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है।

प्रकरण का परिणाम सी.आई.एस. 3.2 में दर्ज कर नियत समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

(वीणा अग्निहोत्री)
नेशनल लोक अदालत
खण्डपीठ क्रमांक–19
बागली, जिला देवास

सदस्यः– सुश्री विद्या सेंधव अधिवक्ता ....

अंतिम प्रति

श्रीमान न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय
प्रथम श्रेणी न्यायालय बागली जिला देवास
1-जिला देवास, थाना बागली, वर्ष 2023 प.सू.प.क्र